



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14313

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 46662 वर्ष 2024

संजय

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: सदरुल इस्लाम जाफरी, बृज लाल शुक्ला, रघुवंश मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए., विदित नारायण मिश्रा

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची पुनरीक्षित कर दी गई है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री एन.आई. जाफरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री एस.आई. जाफरी कर रहे थे, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री विदित नारायण मिश्रा, और राज्य के अधिवक्ता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



श्री राम मोहित यादव, ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया गया।

3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 182/2024, धारा 191(2), 190, 110, 115(2), 127(2), 103(1) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन- डंकौर, जिला- गौतम बुद्ध नगर, में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत चाहता है।

अभियोजन पक्ष की कहानी:

4. आवेदक ने पांच अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर 9.7.2024 को सुबह लगभग 11:00 बजे घायल कमल और जितेंद्र पर हमला किया और उनका अपहरण किया। और फिर उन्हें अपने घर ले जाकर दोबारा पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

5. सूचना देने वाला और अन्य व्यक्ति सह-आरोपी मिंडर के घर पहुंचे, जहां उन्हें घायल जितेंद्र और कमल मिले और वे उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने कमल को मृत घोषित कर दिया और जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आवेदक की ओर से दलीलें:

6. आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि आवेदक का नाम एफआईआर में है, लेकिन उसका इस अपराध से कोई संबंध नहीं है।

7. एफआईआर लगभग सोलह घंटे विलंबित है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आरोप स्वतः ही झूठे हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. घायल जितेंद्र, जो मुख्य गवाह है, की पूछताछ एफआईआर दर्ज होने की तारीख से लगभग तेरह दिन बाद जांच अधिकारी द्वारा की गई है। इस पूछताछ में हुई देरी से संकेत मिलता है कि यह स्पष्ट रूप से झूठे आरोप का मामला है और कानूनी परामर्श के बाद यह कहानी गढ़ी गई है।

9. घायल जितेंद्र ने अपने बयान में कहा है कि घटना वाले दिन, मृतक अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा बंशी से बात कर रहा था, तभी हर्ष और शिवम ने उसे रोका और जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहा और उससे झगड़ा करने लगे। इसी दौरान हर्ष ने अभिषेक को फोन किया, जिसके बाद अभिषेक, राज और एक अज्ञात व्यक्ति एक स्विफ्ट कार में वहाँ पहुँचे और उन्हें अभिषेक के घर में स्थित नवादा गाँव ले गए। इसके बाद हर्ष ने अपने अन्य दोस्तों को भी बुलाया और इसी दौरान उसके अन्य दोस्त, कपिल, गौरव उर्फ बंगाली, सौरभ, आशु, विकास, नरेंद्र उर्फ बघीरा, मोहित, अर्पण और हर्ष का चचेरा भाई संजय (आवेदक) वहाँ पहुँचे और उन सभी ने मिलकर उनकी पिटाई की। इसके बाद, घायल और मृतक व्यक्ति बेहोश हो गए और बताया जाता है कि उन्हें सह-आरोपी माइंडर के घर में होश आया, जहाँ सह-आरोपी माइंडर और संजय (आवेदक) के भाई सुमित भी पहुँचे और उन पर हमला किया।

10. मुख्य गवाह जितेंद्र ने अपने बयान में आवेदक को किसी प्रत्यक्ष कृत्य का दोषी नहीं ठहराया है। इस प्रकार, आवेदक का मामला मुख्य आरोपी हर्ष और शिवम से अलग है। अन्य आरोपियों की भूमिका को बाद में केवल परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने के लिए जोड़ा गया है। उसने धारा 180 बीएनएसएस के तहत दिए गए अपने बयान में एफआईआर के विवरण को पूरी तरह से बदल दिया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. आवेदक का उक्त अपराध करने का कोई मकसद नहीं था, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि आवेदक घटना के बिल्कुल अंत में अन्य आरोपियों के साथ शामिल हुआ था। यदि कोई प्रारंभिक कृत्य हुआ भी था, तो वह सह-आरोपी व्यक्तियों हर्ष और शिवम द्वारा ही किया गया था।

12. मृतक की मृत्यु रिपोर्ट एफआईआर दर्ज होने से काफी पहले तैयार कर ली गई थी और इसमें सूचना देने वाला पंच गवाह संख्या 2 है, लेकिन उसने उस समय किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। कानूनी परामर्श के बाद सुबह 3:02 बजे एफआईआर दर्ज की गई थी।

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 28.8.2024 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य/प्रतिवादी पक्ष की ओर से तर्क:

14. जमानत याचिका का इस आधार पर कड़ा विरोध किया गया है कि मुकदमा चल रहा है और पीडब्ल्यू-1 का बयान दर्ज किया जा चुका है तथा उसकी जिरह अभी पूरी नहीं हुई है।

15. अन्य आरोपियों ने भी घायल व्यक्ति जितेंद्र को धमकी दी थी। जितेंद्र ने सह-आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट (चार्जशीट) प्रस्तुत की जा चुकी है।

16. मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर दस चोटें आई थीं, और घायल व्यक्ति को कुल चार चोटें आई थीं, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निष्कर्ष:

17. आवेदक का मामला मुख्य आरोपी व्यक्तियों हर्ष और शिवम से अलग है।

18. "दोषी सिद्ध न होने तक निर्दोषता का अनुमान" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत जमानत को एक नियम और कारावास को एक अपवाद के रूप में परिभाषित करता है।

19. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है, जब तक कि दोष उचित संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी का जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में दोहराया है।

20. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनसी 595** के मामले में फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि "जमानत एक नियम है और कारावास एक अपवाद है"।

21. विद्वान एजीए/राज्य विधि अधिकारी कोई भी अपवाद परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने का औचित्य सिद्ध करे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआर लगभग सोलह घंटे विलंबित है, साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि मुख्य गवाह जितेंद्र ने अपने बयान में आवेदक को किसी विशेष प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख नहीं किया है, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

23. उपर्युक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक **संजय** को, निजी मुचलके और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

24. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ, विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

20 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।